क.

सीमनट कुमार सिंह बनाम

महेश पीएस एंड ओआरएस।

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 872) 21 मार्च, 2023

[कृष्णा मुरारी और

अहसनूद्दीन अमानुल्लाह**,** जे**.** जे**.]**

जमानत-प्रतिकूल टिप्पणी-का निष्कासन-प्रतिवादी सं.1, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की, जिनके पास कार्यवाही में कोई आधार नहीं था-इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी नं.2 जमानत कार्यवाही के दौरान-अपील पर, अभिनिर्धारित-उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी नं.2 अनुचित हैं और अपीलार्थी संख्या के रूप में औचित्य के बिना हैं। 2 मामले में कोई व्यक्तिगत संलिप्तता नहीं है-अपीलार्थी नं.2 विश्लेषण किया गया है और उसे खुद को समझाने का कोई अवसर नहीं दिया गया है-इसके अलावा, अपीलार्थी नं।3 जमानत की कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, प्रतिकूल टिप्पणी करना अनुचित था-इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी नं.2 प्रतिवादी सं. की जमानत कार्यवाही के दौरान।1 खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि अपीलार्थी नं.2 और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 1 की जमानत पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए खुद को प्रासंगिक मुद्दों तक सीमित रखा होगा।1 – अपीलार्थियों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया।

ग

डी.

ई.

च

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.**जहाँ तक अपीलार्थी संख्या **2** का संबंध है**,** उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी अनुचित और बिना किसी औचित्य के प्रतीत होती है।अपीलार्थी संख्या **2** केवल उस विभाग का एक सरकारी कर्मचारी है जो जाँच कर रहा है और मामले में उसकी कोई व्यक्तिगत संलिप्तता नहीं है।अपीलार्थी नं**. 2** अभियुक्त नहीं है और उसका अपराध के लेन**-**देन से कोई लेना**-**देना नहीं है**,** जमानत की कार्यवाही तो छोड़िए।अदालत द्वारा उनके खिलाफ किसी भी सबूत का विश्लेषण नहीं किया गया है और उन्हें खुद को समझाने का कोई मौका नहीं दिया गया है**,** हालांकि**,** अभी भी तीखी और गंभीर टिप्पणियां की गई हैं।

जी.

एच.

उसके खिलाफ।ऐसे परिदृश्य में**,** इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित टिप्पणियां अनुचित हैं और न्याय के हित में नहीं हैं।**[**पैरा **18] [594-**ए**-**बी**]**

2. जहाँ तक अपीलार्थी सं**. 3** का संबंध है**,** यद्यपि वह कथित अपराध में अभियुक्त है**,** तथापि**,** यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि जमानत की कार्यवाही में उसका कोई उल्लेख नहीं है**,** क्योंकि यह केवल प्रत्यर्थी सं**. 1** के लिए था।ऐसे परिदृश्य में**,** जहां अपीलार्थी संख्या **3** चल रही जमानत कार्यवाही में पक्षकार नहीं था**,** इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के लिए उसके खिलाफ इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणी करना बेहद अनुचित पाया।जब अपीलार्थी सं**. 3** के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था**,** और निर्दोषता का अनुमान अभी भी अपीलार्थी सं**. 3** के पक्ष में कार्यात्मक है**,** तो यह न्यायालय उसके खिलाफ ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी करना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग पाता है**,** क्योंकि इस तरह की टिप्पणी न केवल उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है**,** बल्कि उसके वास्तविक मुकदमे के लिए बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा करने की क्षमता भी रखती है।**[**पारस **19,20] [594-**सी**-**एफ**]**

ग

डी.

3. उच्च न्यायालय किसी तीसरे पक्ष की जमानत कार्यवाही के दौरान स्पष्ट रूप से मनमाना और अन्यायपूर्ण है**,** और उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या **1** की जमानत पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए खुद को प्रासंगिक मुद्दों तक सीमित रखना चाहिए था।जमानत की अदालत**,** विशेष रूप से उन मामलों में जहां किसी तीसरे पक्ष द्वारा जमानत की मांग की जाती है**,** ऐसी अदालत नहीं है जिसके पास किसी असंबद्ध पक्ष के गुण**-**दोष पर आदेश पारित करने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी हो**,** और यदि ऐसा आदेश पारित हो जाता है**,** तो उक्त पक्ष को अपना बचाव करने का वास्तविक और सार्थक अवसर दिए बिना बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता है।यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को**,** जब किसी अवैध कार्य का आरोप लगाया जाता है**,** तो उसे निष्पक्ष रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।हालाँकि सार्थक रूप से सुने जाने का यह अवसर अपीलार्थी संख्या **2** को नहीं दिया गया है।**[**पैरा **25] [596-**ई**-**जी**]**

ई.

च

रंजन पटनायक बनाम शशिभूषण कर **(1986) 2** एस**.** सी**.** सी**. 569:[1986] 2** एससीआर **470;** एम**.** पी**.** बनाम राज्यनंदलाल जैसवाल

जी.

(1986) 4 एससीसी 566:[1987] 1 एससीआर 1; चुनाव

भारतीय आयोग बनाम एम**.** आर**.** विजयभास्कर **(2021) 9** एस**.** सी**.** सी**. 770;** भारतीय रिजर्व बैंक बनाम सहकारी बैंक जमा ए/सी एच**.** आर**.**

शा (2010) 15 एससीसी 85:[2010] 9 एस. सी. आर 1107; राज्य

पुलिस निरीक्षक बनाम एम. मुरुगेसन और ए

एच.

589

सीमंत कुमार सिंह बनाम महेश पीएस एंड ओआरएस।

एन. आर. (2020) 15 एससीसी 251:[2020] 2 एस. सी. आर. 553; राज्य

पंजाब बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य

(2011) 14 एससीसी **770:[2011] 15** एस**.** सी**.** आर**. 540-**पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

[1986] 2 एससीआर **470**

पर भरोसा किया

पैरा **15**

[1987] 1 एससीआर **1**

पर भरोसा किया

पैरा **15**

(2021) 9 एस**.** सी**.** सी**. 770**

पर भरोसा किया

पैरा **17**

[2010] 9 एससीआर **1107**

पर भरोसा किया

पैरा **22**

[2020] 2 एससीआर **553**

पर भरोसा किया

पैरा **23**

ग

[2011] 15 एससीआर **540**

पर भरोसा किया

पैरा **24**

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2023 की आपराधिक अपील संख्या 872।

2022 के सी. आर. एल. पी. संख्या 4909 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 07.07.2022 के निर्णय और आदेश से।

डी.

सह

2023 की आपराधिक अपील संख्या 873 और 874।

निखिल गोयल, ए. ए. जी., रंजीत कुमार, अमित कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अविजीत मणि त्रिपाठी, शौर्य सहाय, श्रीमती रेखा बख्शी, शुभ्रांशु पाधी, विशाल बंशल, सुश्री राजेश्वरी शंकर, नीरोप सुकृति, ओवियास मोह, सुश्री आनंद संजय एम. नुली, सूरज कौशिक, धर्म सिंह, एस. शिव स्वरूप, मेसर्स नुली और नुली, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

ई.

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., लिखी चंद बोन्सले, सुश्री कोमल मुंधार, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

च

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी**,** न्या**.**

अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान तीन अपीलों को 2022 की आपराधिक याचिका संख्या 4909 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसमें एल. डी. द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। अपीलार्थियों के खिलाफ उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश, और सी. बी. आई. को एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें उन्हें अपीलार्थियों में से एक के पिछले रिकॉर्ड की जांच करने के लिए अनिवार्य किया गया।

जी.

एच.

590

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

क.

3. एसएलपी (सी. आर. एल.) में अपीलार्थी 2022 का सं. 6253 (इसके बाद अपीलकर्ता सं. 1 के रूप में संदर्भित), कर्नाटक राज्य है और 2022 के एसएलपी सं. 6572 में अपीलकर्ता, एक श्री सीमंत कुमार (इसके बाद अपीलकर्ता सं. 2 के रूप में संदर्भित), 26 साल की सेवा के साथ एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, और वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हैं।2022 के एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) 6573 में अपीलार्थी, एक श्री जे. मंजूनाथ (इसके बाद अपीलार्थी संख्या 3 के रूप में संदर्भित), बैंगलोर शहर के जिला कलेक्टर हैं।प्रत्यर्थी महेश पीएस (इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 के रूप में संदर्भित)।

4. संक्षेप में, वर्तमान अपीलों के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की जमानत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जो एक पुलिस अधिकारी है, जिस पर रिश्वत लेने का आरोप है, उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के विवादित अंतरिम आदेश के माध्यम से अपीलार्थियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की, जिनका उपरोक्त जमानत कार्यवाही में कोई नाम नहीं था।5. आई. डी. 1 पर कथित रूप से मुखबिर से रिश्वत मांगने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।प्रत्यर्थी नं.1 इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया।

ग

डी.

6. इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय में धारा 439 Cr.PC के तहत जमानत याचिका दायर की।उक्त मामले में उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया था, और जमानत की कार्यवाही के दौरान, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ अदालत में उनकी उपस्थिति के लिए मौखिक समन जारी किया।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी 1 और अपीलार्थी 2 को उक्त मामले में अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है और उनका जमानत की कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है।

ई.

7. उसी जमानत कार्यवाही के दौरान, 04.07.2022 पर, उच्च न्यायालय ने यहाँ अपीलार्थियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की।उच्च न्यायालय द्वारा की गई इन टिप्पणियों को मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया और अपीलार्थियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया।

च

8. तत्पश्चात, आई. डी. 1 पर, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ और प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए, सी. बी. आई. को अपीलार्थी संख्या 2 को सुनवाई का अवसर दिए बिना, अपीलार्थी संख्या 2 के खिलाफ की गई पिछली जांच की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।9. तथापि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी सं. 3 अन्य अपीलार्थियों से थोड़ा अलग है, जहाँ तक कि अपीलार्थी सं. 3 को प्रारंभिक जाँच के बाद, उपर्युक्त मामले में अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन उसी सांस में, यह भी ए होना चाहिए

जी.

एच.

591

सीमंत कुमार सिंह बनाम महेश पीएस एंड ओआरएस। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

यह ध्यान में रखा जाए कि अपीलार्थी सं. 3, यद्यपि कथित अपराध में अभियुक्त है, उच्च न्यायालय में उपर्युक्त जमानत कार्यवाही का पक्षकार नहीं था।

10. इस अदालत के समक्ष दायर वर्तमान अपीलों के माध्यम से, अपीलकर्ता अपने खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हैं।

वर्तमान आवेदनों से जुड़े प्रश्न

11. शुरुआत में, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि वर्तमान अपीलों में, हम केवल अपीलकर्ताओं के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों और अपीलकर्ता संख्या 2 के खिलाफ सी. बी. आई. के वकील को जारी किए गए बाद के निर्देशों से चिंतित हैं।प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मांगी गई जमानत के लिए मूल प्रार्थना पर वर्तमान में इस अदालत द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है, और इसके लिए उच्च न्यायालय में कार्यवाही चल रही है।

ग

डी.

12. उपरोक्त कार्यवाही के बाद, इस अदालत को अब वर्तमान अपीलों में दो प्रश्नों का उत्तर देने का काम सौंपा गया है।

I. क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 की जमानत कार्यवाही के दौरान अपीलार्थियों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी को हटाया जा सकता है?

ई.

II. क्या उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 की जमानत कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी के खिलाफ रिपोर्ट मांगने का निर्देश जारी किया गया है।1 अलग किए जाने की संभावना है?

विश्लेषण

च

मुद्दा I-क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 की जमानत कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाया जा सकता है?

13. उच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग अवसरों पर, प्रतिवादी संख्या 1 की जमानत कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है।उच्च न्यायालय

के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जा रही कार्यवाही के कारण, उक्त टिप्पणियों को व्यापक प्रचार मिला है, और कई मीडिया और समाचार आउटलेट्स ने उन टिप्पणियों को उठाया है और उसी की सूचना दी है।

जी.

एच.

592

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

14. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जमानत की कार्यवाही, एक पूर्ण आपराधिक मुकदमे के विपरीत, केवल मामले के गुण-दोष पर प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण बनाने के कार्य से बोझिल होती है।ऐसी परिस्थिति में जब साक्ष्य का पूरी तरह से विश्लेषण नहीं किया जाता है, और निर्दोष होने का अनुमान अभी भी अभियुक्त के पक्ष में लागू है, तो अदालतों को अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने में बेहद सतर्क रहना चाहिए।यह उन मामलों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जहां जिस पक्ष के खिलाफ टिप्पणी पारित की जाती है, उसके पास उक्त कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ऐसी टिप्पणियाँ, विशेष रूप से यदि संवैधानिक अदालतों द्वारा पारित की जाती हैं, तो ऐसी टिप्पणियों के अंत में पक्षों की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हो सकता है।अदालतों पर सावधानी के इस बोझ को इस अदालत द्वारा दिए गए कई फैसलों में रखा गया है।

ग

15. निरंजन पटनायक बनाम शशिभूषण कर **1** के मामले में**,** यह

न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की जांच करते हुए कहा कि अदालतों को प्रतिकूल टिप्पणी करते समय बेहद सावधान रहना चाहिए और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक होने पर ही इस तरह की टिप्पणी का सहारा लेना चाहिए।उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद यहाँ निकाला जा रहा हैः

डी.

"अपनी राय व्यक्त करने में, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को न्याय, निष्पक्षता और संयम पर विचार करके निर्देशित किया जाना चाहिए, (.) न्यायाधीशों को आम तौर पर संयम, संयम और आरक्षण से नहीं हटना चाहिए और पक्षों या अधिकारियों के खिलाफ कठोर या अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि मामले के निर्णय को उसके अभिन्न अंग के रूप में लेना वास्तव में आवश्यक न हो।

ई.

16. एम**.** पी**.** बनाम राज्य के मामले में।नंदलाल जयस्वाल **2,** जिसमें

यह न्यायालय राज्य के अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ अपमानजनक टिप्पणियों की जांच कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि न्यायाधीशों को प्रतिकूल टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी शरारत का कारण बन सकती है और न्याय प्राप्त करने के उद्देश्यों के विपरीत हो सकती है।उपरोक्त निर्णय से संबंधित टिप्पणियों को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

च

"हम निष्कर्ष में देख सकते हैं कि न्यायाधीशों को पक्षों या उनके गवाहों के आचरण की आलोचना करते समय कठोर और कठोर भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए।उन्हें संयम, संयम और संयम के साथ काम करना चाहिए।उनमें यह पहचानने की विनम्रता होनी चाहिए कि वे अचूक और कठोर नहीं हैं।

जी.

1 (1986) 2 एससीसी 569 2 (1986) 4 एससीसी 566 ए

एच.

593

सीमंत कुमार सिंह बनाम महेश पीएस एंड ओआरएस। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

किसी भी पक्ष के खिलाफ उनके द्वारा पारित अपमानजनक सख्ती गलत और अनुचित हो सकती है और यदि ऐसा है, तो वे काफी नुकसान और शरारत कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप अन्याय हो सकता है।यहाँ, वर्तमान मामले में, बी. एम. लाल, जे. द्वारा की गई टिप्पणियाँ और पारित सख्तियाँ पूरी तरह से अनुचित और अनुचित थीं और उन्हें नहीं किया जाना चाहिए था।

17. इसके अलावा, भारत के चुनाव आयोग बनाम एम. आर.

विजयभास्कर 3 ने उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों की जांच करते हुए कहा कि न्यायाधीशों को अदालत में ऐसी टिप्पणियां करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए जिनकी गलत व्याख्या की जा सकती है।फैसले का प्रासंगिक अनुच्छेद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा हैः

ग

“यह कहने के बाद, हमें न्यायाधीशों को खुली अदालत में अनौपचारिक टिप्पणियों में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए, जो गलत व्याख्या के लिए अतिसंवेदनशील हो सकती हैं।न्यायपीठ और निर्णयों दोनों में भाषा को न्यायिक औचित्य के अनुरूप होना चाहिए।भाषा न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन है जो संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील है।न्यायिक भाषा संवैधानिक लोकाचार के प्रति संवेदनशील विवेक के लिए एक खिड़की है।अपने अल्पीकृत संतुलन के अभाव में, भाषा मानव गरिमा के रक्षक के रूप में अपने प्रतीकवाद को खोने का जोखिम उठाती है।संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालयों को सौंपी गई है।इसका आधार इतना ऊँचा है कि यह संविधान की बुनियादी विशेषताओं का एक हिस्सा है।फिर भी जिम्मेदारी का सत्ता सौंपने की प्रकृति और आयामों के साथ सीधा सह-संबंध है।उच्च न्यायालय द्वारा कुछ हद तक सावधानी और सावधानी बरतने से उस प्रकृति की शिकायत को दूर किया जा सकता था जिसका वर्तमान मामले में आग्रह किया गया है। केवल यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सुनवाई के दौरान मौखिक अवलोकन क्षण के साथ बीत गए हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं।निर्वाचन आयोग के पास एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होने का ट्रैक रिकॉर्ड है जो चुनावी लोकतंत्र की पवित्रता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बोझ उठाता है।हम आशा करते हैं कि मामला संतुलन की भावना के साथ आराम कर सकता है जिसे हमने लाने का प्रयास किया है।"

डी.

ई.

च

जी.

18. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, जहां तक अपीलार्थी संख्या 2 का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणी

एच.

3 (2021) 9 एस. सी. सी. 770

594

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह अनुचित और बिना किसी औचित्य के प्रतीत होता है।अपीलार्थी संख्या 2 केवल उस विभाग का एक सरकारी कर्मचारी है जो जाँच कर रहा है और मामले में उसकी कोई व्यक्तिगत संलिप्तता नहीं है।अपीलार्थी नं. 2 अभियुक्त नहीं है और उसका अपराध के लेन-देन से कोई लेना-देना नहीं है, जमानत की कार्यवाही तो छोड़िए।अदालत द्वारा उनके खिलाफ किसी भी सबूत का विश्लेषण नहीं किया गया है और उन्हें खुद को समझाने का कोई मौका नहीं दिया गया है, हालांकि, उनके खिलाफ अभी भी तीखी और गंभीर टिप्पणियां की गई हैं।ऐसे परिदृश्य में, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित टिप्पणियों को अनुचित पाते हैं और न्याय के हित में नहीं।19. जहाँ तक अपीलार्थी सं. 3 का संबंध है, यद्यपि वह कथित अपराध में अभियुक्त है, तथापि, यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि जमानत की कार्यवाही में उसका कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह केवल प्रत्यर्थी सं. 1 के लिए था।ऐसे परिदृश्य में, जहां अपीलार्थी संख्या 3 चल रही जमानत कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, हम उच्च न्यायालय के लिए उसके खिलाफ इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणी करना बेहद अनुचित पाते हैं।

ग

डी.

20. प्रत्यर्थी सं. 1 की जमानत कार्यवाही में, क्योंकि अपीलार्थी सं. 3 एक पक्षकार नहीं था, उसके पास अदालत के अवलोकन के लिए अपनी दलीलें रिकॉर्ड पर रखने का अवसर नहीं था।उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी सं. 3 के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए थे, क्योंकि जमानत की कार्यवाही और उक्त जमानत की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में वकीलों की दलीलें केवल प्रतिवादी सं. 1 तक ही सीमित थीं।इस संदर्भ में, जब अपीलकर्ता संख्या 3 के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था, और निर्दोष होने का अनुमान अभी भी अपीलकर्ता संख्या 3 के पक्ष में कार्यात्मक है, तो हम उनके खिलाफ इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणी करना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग पाते हैं, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियों से न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होता है, बल्कि उनके वास्तविक मुकदमे में बहुत पूर्वाग्रह पैदा करने की क्षमता भी होती है।

ई.

च

आई. एस. यू. ई. II-क्या उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नं. 2 की जमानत कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी नं. 2 के खिलाफ रिपोर्ट मांगने के लिए जारी किया गया निर्देश।1 अलग किए जाने की संभावना है?

21. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी संख्या 2, जो केवल उस संस्थान का कर्मचारी है जो कथित अपराध की जाँच को संभाल रहा है, का उपर्युक्त जमानत कार्यवाही में कोई नाम नहीं था।उच्च न्यायालय ने एक मौखिक समन के माध्यम से अपीलार्थी संख्या 2 की उपस्थिति का निर्देश दिया, जिसका उन्होंने पालन किया।समन भेजे जाने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 2 को सुनवाई का मौका दिए बिना, और ए

जी.

एच.

595

सीमंत कुमार सिंह बनाम महेश पीएस एंड ओआरएस। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

उचित प्रक्रिया से गुजरे बिना, अपीलार्थी संख्या 2 के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सी. बी. आई. के वकील को निर्देश जारी किया।दोहराने के लिए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह सब धारा 439 Cr.PC कार्यवाही के भीतर हुआ था, और वह भी आरोपी से असंबद्ध व्यक्ति के खिलाफ।

22. भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम सहकारी बैंक जमा ए/सी एच. आर. के मामले में।

4 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत एक आवेदन के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें बैंक को आरोपी से बरामद धन को वितरित करने के निर्देश जारी किए गए थे।इस अदालत ने इन निर्देशों की जांच करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने जमानत पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक मुद्दों तक ही खुद को सीमित रखा होगा।इस न्यायालय के प्रासंगिक अवलोकन को नीचे निकाला जा रहा हैः

ग

"हमारी राय है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के दूरगामी परिणाम एक तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत एक आरोपी द्वारा दायर जमानत के आवेदन के दायरे से बाहर हैं और उच्च न्यायालय, जितना किसी और को, उसके समक्ष मामले से संबंधित मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए।इस प्रकार यह उच्च न्यायालय के लिए आदेश पारित करने के लिए खुला नहीं था जो पूरे देश में बैंकों के कामकाज को प्रभावित कर सकता था।अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बसव प्रभु एस. पाटिल ने बताया है कि इसी कारण से भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अपील दायर की थी।"

डी.

ई.

23. पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य के मामले में बनाम.

एम. मुरुगेसन और अन्य 5, इस न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां एक अलग तंत्र मौजूद है, अदालत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत, विशेष रूप से जमानत कार्यवाही के संदर्भ में, ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकती है जो जमानत देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेने के दायरे से बाहर हैं।इस न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

च

"हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य से डेटा एकत्र किया है और [जमानत आवेदन के निर्णय के बाद इसे आदेश का हिस्सा बना दिया है, जैसे कि अदालत के पास राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आड़ में कोई भी आदेश पारित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र था।की अधिकारिता

जी.

4 (2010) 15 एससीसी 85 5 (2020) 15 एससीसी 251

एच.

संहिता की धारा **439** के तहत अदालत अनुदान देने या न देने तक सीमित है।

मुकदमे के लंबित रहने तक जमानत देने के लिए।भले ही माननीय न्यायाधीश का उद्देश्य प्रशंसनीय था लेकिन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया गया

स्पष्ट रूप से गलत था।माननीय न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रयास को एक उपयुक्त मंच पर प्रस्तुत करना शैक्षणिक रूप से उचित हो सकता है**,** लेकिन ऐसे निर्देश न्यायालय के कार्यालय के रंग के तहत जारी नहीं किए जा सकते हैं।**"**

24. इसके अलावा, पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह के मामले में

भुल्लर और अन्य 6, जहां एक आपराधिक अपील पर निर्णय लेने के बाद, उच्च न्यायालय ने असंबद्ध मामलों में अन्य अपराधियों के संबंध में आदेश पारित करना जारी रखा, इस अदालत ने माना कि मुख्य मामले के दायरे से बाहर अधिकार क्षेत्र का इस तरह का आह्वान अन्यायपूर्ण था।उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा हैः

ग

"एक अंतर्निहित शक्ति पेंडोरा के डिब्बे को खोलने के लिए एक सर्वव्यापी नहीं है, वह भी उन मुद्दों के लिए जो मुख्य संदर्भ के लिए विदेशी हैं।शक्ति का आह्वान एक ऐसे उद्देश्य के लिए होना चाहिए जो एक कार्यवाही से जुड़ा हो न कि एक पूरी तरह से नए मुद्दे को जन्म देने के लिए।एक शक्ति अपनी सृष्टि से परे अपने अधिकार से आगे नहीं बढ़ सकती है।"

डी.

25. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, हमारी राय है कि किसी तीसरे पक्ष की जमानत कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय की कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना और अन्यायपूर्ण है, और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की जमानत पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए खुद को प्रासंगिक मुद्दों तक सीमित रखा होगा।जमानत की अदालत, विशेष रूप से उन मामलों में जहां किसी तीसरे पक्ष द्वारा जमानत की मांग की जाती है, ऐसी अदालत नहीं है जिसके पास किसी असंबद्ध पक्ष के गुण-दोष पर आदेश पारित करने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी हो, और यदि ऐसा आदेश पारित हो जाता है, तो उक्त पक्ष को अपना बचाव करने का वास्तविक और सार्थक अवसर दिए बिना बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता है।यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को, जब किसी अवैध कार्य का आरोप लगाया जाता है, तो उसे निष्पक्ष रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।हालाँकि सार्थक रूप से सुने जाने का यह अवसर अपीलार्थी संख्या 2 को नहीं दिया गया है, और इसलिए हम अपीलार्थी संख्या 2 के पक्ष में मुद्दा 2 रखते हैं।

ई.

च

जी.

निष्कर्ष

26. सामान्य तौर पर कानूनी प्रणाली और विशेष रूप से न्यायिक प्रणाली ने सुलभता और पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत की है।

6 (2011) 14 एससीसी 770 ए

एच.

597

सीमंत कुमार सिंह बनाम महेश पीएस एंड ओआरएस। [कृष्णा मुरारी, जे।]

आभासी सुनवाई को अपनाना और खुली अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करना।न्यायपालिका में इन परिवर्तनों ने यह सुनिश्चित किया है कि अदालतें निवारण तंत्र के रूप में आम आदमी के लिए पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गई हैं।भौतिक बुनियादी ढांचे की सीमाएँ, जिन्होंने अदालतों को एक भौतिक स्थान तक सीमित कर दिया है, अक्सर न्याय तक पहुँच की दिशा में मुख्य बाधाओं में से एक के रूप में उद्धृत किया गया है।हालाँकि, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और उसे अपनाने के कारण यह बाधा अब दूर हो गई है।इसने न्यायिक प्रणाली में पहले कभी पारदर्शिता नहीं देखी, जबकि यह अपने साथ बहुत लाभ लाता है, यह इस तरह की अदालती कार्यवाही का संचालन करते समय न्यायाधीशों पर जिम्मेदारी का एक सख्त मानक भी जोड़ता है। अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण के कारण अदालत में की गई टिप्पणियों के अब दूरगामी प्रभाव हैं, और जैसा कि वर्तमान मामले में देखा जा सकता है, इसमें शामिल पक्षों की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हो सकता है।ऐसी परिस्थिति में, अदालतों के लिए यह आवश्यक है कि वे शामिल पक्षों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करते समय बेहद सतर्क रहें, और उचित न्याय के साथ, सही मंच पर ऐसा करना चाहिए, और केवल तभी जब न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना आवश्यक हो।

ग

डी.

27. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, न केवल अपीलार्थियों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाया जा सकता है, बल्कि विवादित अंतरिम आदेश को ही रद्द किया जा सकता है।तदनुसार, दिनांकित 07.07.2022 का विवादित आदेश रद्द कर दिया जाता है।

ई.

28. इसके अलावा, इस अदालत द्वारा पारित पिछले आदेश दिनांक 18.07.2022 के आलोक में, हम मानते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 की जमानत कार्यवाही समाप्त हो गई है।हालाँकि, चूंकि जमानत कार्यवाही के परिणाम का कोई संकेत नहीं है, यदि यह पहले से ही तय नहीं किया गया है, तो हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस फैसले से पूर्वाग्रहित या प्रभावित हुए बिना अपने गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार जमानत कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त करे।तदनुसार, अपीलों को अनुमति दी जाती है।

च

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

जी.

एच.